

1/120710/2023

सचिन कुर्वे,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

जिलाधिकारी,
तमोल्ली ।

देहरादून, दिनांक 10 मई, 2023

રાજસ્વ અનુગામ-2

विषय:- राजस्व अनुभाग-2
जनपद चमोली के विकास खण्ड देवाल के अन्तर्गत ग्राम ओडर में गिण्डर नदी के ऊपर 125 मीटर स्पान झूलापुल के निर्माण हेतु 0.040 हे० सिविल भूमि लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या-3430/छवीस-24/एन0ए0सी0(2022-23), दिनांक 29 मार्च, 2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से जनपद बगौली के विकास खण्ड देवाल के अन्तर्गत ग्राम ओडर में पिण्डर नदी के ऊपर 125 मीटर स्पान झूलापुल के निर्माण हेतु तहसील देवाल के अन्तर्गत ग्राम ओडर की ख0खा0स0-46 के खसरा संख्या-2280 रकबा 0.199 है0 भूमि मध्ये 0.020 है0 भूमि जो कि नॉनजडए श्रेणी-10(4) अन्य कारणा से रगड भूमि के रूप में दर्ज अभिलेख है एवं ग्राम ओडर की ख0खा0स0-27 के खसरा संख्या-2308 रकबा 3.520 है0 भूमि मध्ये 0.020 है0 भूमि, जो कि नॉनजडए श्रेणी 10(2) जलमयन भूमि के रूप में दर्ज अभिलेख है अर्थात कुल 0.040 है0 सिविल भूमि को लोक निर्माण विभाग के नाम हस्तांतरण किये जाने की अनुमति प्रदान करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया है।

2— इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि जनपद चमोली के विकास खण्ड देवाल के अन्तर्गत ग्राम ओडर में पिण्डर नदी के ऊपर 125 मीटर स्थान झूनामुल के निर्माण हेतु आपके उक्त शर्तित पत्र दिनांक 29 मार्च, 2023 द्वारा प्रस्तुतित कुल 0.040 हे० सिविल युनिट का शासनादेश संख्या-496/दिनांक 28 जुलाई, 2020 में दी गयी त्तरापानुसार तब निर्माण प्रयोग के पक्ष में निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन हस्तांतरण करने की श्री राजपाल महीश्वर सहयोगी स्वीकृति प्रदान करते हैं—

- (1) भूमि पर कोई भौगिक अथवा ऐतिहासिक महत्व की इमारत न हो।
- (2) जिस परियोजना के लिए भूमि हस्तान्तरित की जा रही है वह एक अनुमोदित परियोजना हो और उसके लिए शासन से सहायता प्राप्त हो चुकी हो।
- (3) हस्तान्तरित भूमि यदि प्रस्तावित कार्य से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग की जाय तो उसके लिए मूल विभाग से पुनः अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
- (4) यदि भूमि की आवश्यकता न हो या उस वर्ष तक हस्तान्तरित भूमि प्रस्तावित कार्य के लिए उपयोग में नहीं लायी जाती है तो वह मूल विभाग में स्वतः ही निहित हो जायेगी।
- (5) जिस प्रयोजन हेतु भूमि हस्तान्तरित की जा रही है उस से भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु किसी अन्य व्यक्ति संस्था समिति अथवा विभाग आदि को मूल विभाग की सहायता के बिना भूमि हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।
- (6) जिस परियोजना हेतु भूमि अर्जित की जा रही है उसकी पूर्ति के उपरान्त यदि भूमि अवशेष बची रहती है तो मूल विभाग को उसे आपस (न) को अर्पित होगा।
- (7) प्रदत्त भूमि आपस के पूर्ण बाँट के बाद बचावस्थित परिसर/खण्ड नौवींताल में घोषित कोआर्डिनेट संख्या-233/2008 धारा 10 वीं ताल बहुपुत्रा कानून उत्तरखण्ड राज्य एवं अन्य में भारत आदेश दिनांक 04-07-2013 के अनुपालन में निर्गत शासनादेश दिनांक 13.11.2013 तथा शासनादेश संख्या: 1015, दिनांक 29 जून 2016 के सुसंगत प्रावधानों के अनुसार आवधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।
- (8) संचयन विभाग हेतु (अवशेष) भूमि हो भूमि पर सड़क, मूल विभाग हेतु बाढ़ सुरक्षा के माफ़ी के पूर्ण रूप से अनुपालन संबंधित किया जाएगा।

भवदीय.

- 1- प्रमुख सचिव / सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 2- आयुक्ता सचिव, राजस्व परिषद उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 3- आयुक्ता, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 4- प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, यमुना कात्तोनी, देहरादून।
- 5- अभियन्ता अभियन्ता, निर्माण खण्ड ता0नि0वि0 यमोली।
- 6- निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय, देहरादून।
- 7- गार्ड फाईल।

Date: 10-05-2023 13:10:18
(डा० आनन्द श्रीवास्तव)
अपर सचिव।